

13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत है।

परिवादी सहित श्री अरविंद गर्ग अधिवक्ता।

आरोपी सहित श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता।

परिवादी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 परकाम्य लिखत अधिनियम पूर्व पेशी दिनांक-11.12.2014 को पेश कर, निवेदन किया गया है कि आरोपी और उसके मध्य राजीनामा हो चुका है तथा आरोपी ने प्रश्नाधिन चैक की पूरी राशि परिवादी को अदा कर दी है। परिवादी, आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। आरोपी ने न्यायालय के आदेशानुसार राजीनामा किये जाने की पूर्ववर्ती शर्त चैक राशि के 10 प्रतिशत राशि अर्थात् 33,396/-रूपये कास्ट के रूप में अदा करने के संबंध में मूल रसीद के साथ उसकी फोटोप्रति पेश की है।

उभयपक्ष की ओर से प्रारूपित आवेदन पत्र के साथ राजीनामा डाकेट लिखित व स्वयं के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। उभयपक्ष की पहचान श्री अरविंद गर्ग एवं आर.के.चौहान अधिवक्ता द्वारा की गई।

परिवादी ने स्वेच्छया से बिना किसी डर या दबाव के अपराध शमन किये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया जाना प्रकट होता है। अतएव राजीनामा आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती। अतएव परिवादी का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 परकाम्य लिखत अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आरोपी के विरुद्ध अपराध का शमन किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

परिवादी को नियमानुसार न्यायशुल्क वापसी का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, समयावधि के भीतर  
अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य

सदस्य

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)